पेज संख्या 01 से 04 तक

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला थाना **प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यू0 जयपुर** वर्ष **2023....**
प्र0इ0रि0 सं. 269 **/2023**............................दिनांक 11/10/2023

2. (I) *अधिनियम ...**भ्ष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा सशोधन 2018)** धाराये.....
......**7, 8**
(II) *अधिनियम........**भारतीय दण्ड संहिता**.....धारायें ....**120बी**........................
(III) * अधिनियम .... धारायें ....
(IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....187.............................. समय 6:30pm
(ब) * अपराध घटने का ....दिनांक जून 2022 समय...............................
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 12.02.**2023**

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक–**लिखित**

5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–उत्तर **पश्चिम में करीब 135 किमी**
(ब) *पता कार्यालय अति. पुलिस अधीक्षक, एसओजी, अजमेर
....बीट संख्या..........................जयरामदेही सं.................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम **श्री मांगीलाल, तत्कालीन उप अधीक्षक पुलिस, भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर**
(ब) पिता/पति का नाम श्री भगवान सहाय
(स) जन्म तिथी/वर्ष वर्ष............**उम्र 58 साल**...
(द) राष्ट्रीयता ....**भारतीय**..
(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि ....
जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय ....**नौकरी** ....
(ल) पता...निवासी 465–ए, तारानगर झोटवाड़ा जयपुर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –

1–श्रीमती दिव्या मित्तल पुत्री श्री विनोद कुमार मित्तल उम्र 41 साल जाति महाजन, निवासी मित्तल एल्यूमिनियम पिलानी रोड चिडावा, जिला झुन्झुनू हाल निवासी मकान नं. सी–204, ए.आर.जी. सिटी, अजमेर तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप, यूनिट अजमेर (हाल निलम्बित)।
2–श्री संजय नन्दवानी पुत्र श्री रमेश नन्दवानी, जाति सिंधि उम्र 45 वर्ष निवासी 11बी/1 कृष्णा विहार, RIMSमेन गेट के सामने, निम्बूवाला, पुलिस थाना गढी केन्ट कोतवाली देहरादून (उत्तराखण्ड) व अन्य।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–..
....
....

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....**रिश्वती राशि 1,00,00,000/– रूपये** .....
.....

10. * चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .... **रिश्वती राशि 1,00,00,000/–**

11. * पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

महोदय,

निवेदन है कि श्रीमती दिव्या मित्तल तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप, यूनिट अजमेर एवं अन्य के द्वारा रिश्वत मांगे जाने की लिखित रिपोर्ट श्री विकास अग्रवाल द्वारा पेश किये जाने पर रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया जाकर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर मुकदमा नम्बर 13/2023 दिनांक 14.01.2023 अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 120बी भा.दं.सं. में दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया गया। उक्त प्रकरण में दौराने अनुसंधान गवाह श्री विकास अग्रवाल ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 सी.आर.पी.सी. व धारा 164 सी.आर.पी.सी. में कथन किया है कि श्री संजय नन्दवानी ने पुष्कर की एक होटल में श्रीमती दिव्या मित्तल को अपने भाई श्री सुनिल नन्दवानी को आगे बाकी दो एफ.आई.आर. में उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने की एवज में एक करोड रूपये रिश्वत राशि दी थी। श्री विकास अग्रवाल के द्वारा दिनांक 04.01.2023 को श्री संजय नन्दवानी से अपने मोबाईल नम्बर 98084–44633 से श्री संजय नन्दवानी के मोबाईल नम्बर 75005–17601 पर वाट्सएप पर वाईस कॉल से हुई की थी, जिसका श्री मोहित अग्रवाल के मोबाईल से मोबाईल का स्पीकर ऑन कर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर पेश किया गया। श्री विकास अग्रवाल की श्री संजय नन्दवानी से मोबाईल पर वॉट्सएप पर हुई वार्ता के ऑडियो/वीडियो से संबंधित मेमोरी कार्ड VC-1में रिकॉर्ड ऑडियो/वीडियो फाईल में निरन्तरता हैं या नहीं? (AUTHENTICATION) के संबंध में जांच हेतु पत्र कमांक 386–87 दिनांक 17.02.2023 जारी कर जरिये एफ.एस.एल. रसीद संख्या SL No. SFSL(JAI) 2953/CYB/23 दिनांक 17.02.2023 राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर में जमा करवाया गया। इस संबंध में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर से रिपोर्ट FSL-2953/CYBER-196/23 दिनांक 11.05.2023 प्राप्त हुई जिसमें श्री संजय नन्दवानी एवं परिवादी श्री विकास अग्रवाल के मध्य हुई वार्ता की वीडियों फाईल में कोई कांट–छांट नहीं होना बताया हैं। उक्त संबंध में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर से रिपोर्ट FSL-PART/PHYS-156/2023दिनांक 12.06.2023 प्राप्त हुई जिसमें श्री संजय नन्दवानी एवं परिवादी श्री विकास अग्रवाल की वार्ता से संबंधित वीडियों फाईल IMG-3045में वार्ता निरन्तरता में पाई गई हैं एवं इनमें कोई कांट–छांट या एडिटिंग नहीं होना अंकित किया हैं। परिवादी श्री विकास अग्रवाल की अपने मोबाईल नम्बर 98084–44633 से श्री संजय नन्दवानी के मोबाईल नम्बर 75005–17601 पर वाट्सएप पर वाईस कॉल वार्ता से संबंधित सील्ड मेमोरी कार्ड मार्का –VC-1में रिकॉर्ड ऑडियो/वीडियो की फाईल में रिकॉर्ड ऑडियो में श्री संजय नन्दवानी की आवाज का मिलान उसकी नमूना आवाज सी.डी. मार्का–VSSसे राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर से करवाये जाने हेतु पत्र कमांक 493–94 दिनांक 08.03.2023 से जरिये एफ.एस.एल. रसीद संख्या SI No: SFSL(JAI) 4241/ PHY/23 दिनांक 08.03.2023 राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर में जमा करवाया गया। इस संबंध में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर से परीक्षण रिपोर्ट FSL-4241/PHYS-77/2023दिनांक 12.06.2023 प्राप्त हुई, जिसमें प्रकरण से संबंधित श्री संजय नन्दवानी एवं परिवादी श्री विकास अग्रवाल की वार्ता से संबंधित वीडियों फाईल IMG-3045में वार्ता में श्री संजय नन्दवानी द्वारा बोले गये शब्द आरोपी श्री संजय नन्दवानी की नमूना आवाज में बोले गये शब्दों जो सी.डी. मार्का–VSS में रिकॉर्ड हैं, से मिलान होकर श्री संजय नन्दवानी के द्वारा ही बोले जाना अंकित किया हैं।

दिनांक 12.02.2023 को मुर्तिब फर्द वार्ता रूपान्तरण के अनुसार श्री विकास अग्रवाल एवं श्री संजय नन्दवानी के मध्य वाट्सअप रिकॉर्ड वार्ता का रूपान्तरण दो स्वतन्त्र गवाहान श्री प्रशान्त उपाध्याय व श्री सचिन शर्मा की उपस्थिति में अनुसंधान अधिकारी श्री मांगी लाल उप पुलिस अधीक्षक, एस.यू. द्वितीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर द्वारा तैयार की गई।सम्पूर्ण ट्रांसक्रिप्ट के अवलोकन से पाया कि परिवादी श्री विकास अग्रवाल एवं श्री संजय नन्दवानी के बीच हुई वार्ताओं से स्पष्ट है कि श्री संजय नन्दवानी के भाई श्री सुनिल नन्दवानी को दो अन्य प्रकरण में गिरफ्तार नहीं करने एवं श्री सुनिल नन्दवानी को आरोपी नहीं बनाने की एवज में रिश्वत राशि श्री सुनिल नन्दवानी द्वारा श्रीमती दिव्या मित्तल को दी है।

प्रकरण संख्या 13/2023 के अनुसंधान के दौरान यह तथ्य भी सामने आये कि आरोपिया श्रीमती दिव्या मित्तल के द्वारा प्रकरण संख्या 139/2021 पुलिस थाना अलवर गेट जिला अजमेर, प्रकरण संख्या 183/2021 तथा प्रकरण संख्या 195/2021 पुलिस थाना रामगंज, जिला अजमेर में आरोपी श्री सुनील नन्दवानी की गिरफ्तारी की स्वीकृति हेतु पुलिस अधीक्षक, एस.ओ.जी. जयपुर प्रेषित किया, जिस पर एस.ओ.जी. मुख्यालय से पुलिस अधीक्षक एस.ओ.जी. राजस्थान जयपुर द्वारा श्री सुनील नन्दवानी को उक्त प्रकरणों में गिरफ्तार करने की स्वीकृति दे दी गई थी। इसके बाद आरोपिया श्रीमती दिव्या मित्तल के द्वारा श्री सुनील नन्दवानी को दिनांक 04.06.2022 को प्रकरण संख्या 195/2021 में गिरफ्तार कर लिया गया था।इसके बाद श्री सुनील नन्दवानी के पुलिस अभिरक्षा के दौरान आरोपिया श्रीमती दिव्या मित्तल ने प्रकरण संख्या 195/2021 में पूर्व में गिरफ्तार आरोपी श्री सुनील नन्दवानी को दो अन्य प्रकरण संख्या 139/2021 एवं प्रकरण संख्या 183/2021 में गिरफ्तार नहीं करने की एवज में श्री सुनील नन्दवानी के भाई श्री संजय नन्दवानी से एक करोड रूपये प्राप्त कर आरोपी श्री सुनील नन्दवानी की गिरफ्तारी स्वीकृति निरस्त करने एवं इसके विरूद्ध अनुसंधान बन्द करने की स्वीकृति हेतु भेजा गया। इस प्रकार श्री सुनिल नन्दवानी की पहले उच्चधिकारियों से गिरफ्तारी स्वीकृति प्राप्त की गई। बाद में गिरफ्तारी स्वीकृति को निरस्त करने हेतु श्रीमती दिव्या मित्तल द्वारा उच्चाधिकारियों को लिखा गया। इससे जाहिर है कि श्रीमती दिव्या मित्तल द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर उक्त कृत्य किया गया हैं। उक्त तथ्यों की पुष्टि परिवादी श्री विकास अग्रवाल व श्री संजय नन्दवानी की फर्द वार्ता रूपान्तरण से भी होती हैं।

इस प्रकार श्री संजय नन्दवानी ने श्रीमति दिव्या मित्तल से आपसी मिली भगत कर अपने भाई श्री सुनिल नन्दवानी को शेष दो प्रकरणों में आरोपी नहीं बनाने तथा गिरफ्तार नहीं करने की एवज में श्री संजय नन्दवानी द्वारा रिश्वत के तौर एक करोड रूपये श्रीमती दिव्या मित्तल, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एस.ओ.जी. यूनिट अजमेर को दिया जाना पाया गया है। अतः आरोपिया श्रीमती दिव्या मित्तल पुत्री श्री विनोद कुमार मित्तल उम्र 41 साल जाति महाजन, निवासी मित्तल एल्यूमिनियम पिलानी रोड चिडावा, जिला झुन्झुनू हाल निवासी मकान नं. सी–204, ए.आर.जी. सिटी, अजमेर तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप, यूनिट अजमेर (हाल निलम्बित) एवं आरोपीश्री संजय नन्दवानी पुत्र श्री रमेश नन्दवानी, जाति सिंधि उम्र 45 वर्ष निवासी 11बी/1 कृष्णा विहार, RIMS मेन गेट के सामने, निम्बूवाला, पुलिस थाना गढी केन्ट कोतवाली देहरादून (उत्तराखण्ड) एवं अन्य के विरूद्ध धारा 7,8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 120 बी आई.पी.सी. में प्रथम दृष्ट्या अपराध कारित किया जाना पाया गया हैं।

अतः आरोपिया श्रीमती दिव्या मित्तल पुत्री श्री विनोद कुमार मित्तल उम्र 41 साल जाति महाजन, निवासी मित्तल एल्यूमिनियम पिलानी रोड चिडावा, जिला झुन्झुनू हाल निवासी मकान नं. सी–204, ए.आर.जी. सिटी, अजमेर तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,

स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप, यूनिट अजमेर (हाल निलम्बित) एवं आरोपी श्री संजय नन्दवानी पुत्र श्री रमेश नन्दवानी, जाति सिंधि उम्र 45 वर्ष निवासी 11बी/1 कृष्णा विहार, RIMS मेन गेट के सामने, निम्बूवाला, पुलिस थाना गढी केन्ट कोतवाली देहरादून (उत्तराखण्ड) एवं अन्य के विरूद्व धारा 7, 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(संशोधित 2018) एवं 120बी भा.द.सं.में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु मुख्यालय प्रेषित है।

(संजय कुमार)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
(मुख्यालय) जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री संजय कुमार, उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, (मुख्यालय) जयपुर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत 7, 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादस में आरोपीगण 1. श्री दिव्या मित्तल पुत्री श्री विनोद कुमार मित्तल, निवासी मित्तल एल्यूमिनियम पिलानी रोड चिडावा जिला झुझुंनू हाल निवासी मकान नं0 सी-204 ए.आर.जी. सिटी, अजमेर तत्का0 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप, यूनिट अजमेर (हाल निलम्बित) 2. श्री संजय नन्दवानी पुत्र श्री रमेश नन्दवानी, निवासी 11बी 1 कृष्णा विहार आरआईएमएस मेन गेट के सामने, निम्बूवाला, पुलिस थाना गढी केन्ट कोतवाली देहरादून (उत्तराखण्ड) एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट 269/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई।

11.10.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 2912-17 दिनांक-11.10.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग राजस्थान जयपुर।
3. महानिदेशक पुलिस, पुलिस मुख्यलय, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सतर्कता, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू-द्वितीय जयपुर।

11.10.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।